न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी, अजमेर

(पीठासीन अधिकारीः– गजेन्द्र सिंह राठौड़, आर0ए0एस0)

अपील संख्याः–83/2023/225 आर.टी.एक्ट (2023/83)

1. किशन पुत्र स्व. रामकरण जाति जाट निवासी ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।

अपीलांट

बनाम

1. मैना पत्नि गोपाल जाति जाट
2. संतोष पत्नि प्रभु जाति गुर्जर
3. रूपा पुत्र भोमा जाति रावत
4. कम्मा पुत्र भोमा जाति रावत
5. मांगू पुत्र भोमा जाति रावत समस्त निवासीगण ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
6. दी मैनेजर बैंक आफ बडौदा शाखा राजगढ तहसील नसीराबाद जिला अजमेर।
7. उपपंजीयन अधिकारी नसीराबाद कार्यालय तहसीलदार नसीराबाद जिला अजमेर।
8. राजस्थान सरकार जरिए तहसीलदार,नसीराबाद जिला अजमेर।

रेस्पोडेन्टस

अपील विरूद्ध अंतर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955, विरूद्ध उपखण्ड अधिकारी, नसीराबाद आदेश दिनांक 14.02.2023, प्रकरण संख्या 50/2022.

उपस्थितः–

1. श्री सीताराम रावत, अभिभाषक अपीलांटस.
2. श्री नवीन गुर्जर, अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या 01 व 02
3. श्री मदनपुरी गोस्वामी अभिभाषक रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5
4. श्री विकास पाराशर, राजकीय अधिवक्ता, रेस्पोडेंट संख्या 7,8
5. रेस्पोडेन्ट संख्या 6 अनुपस्थित।

निर्णय

दिनांकः– 12.01.2024

1. यह अपील अधीनरथ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी,नसीराबाद द्वारा प्रकरण संख्या 50/2022 में पारित आदेश के दिनांक 14.02.2023 के विरूद्ध इस न्यायालय मे प्रस्तुत हुई है।
2. अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील पर रेसपोडेंट पक्ष द्वारा यह आपत्ति जताई है कि अपीलांट द्वारा अपीलाधीन भूमियों को अन्य को दान कर दिया है ऐसी स्थिति में अब अपील चलने योग्य नहीं है। रेस्पोडेंट अभिभाषक द्वारा उठाए गए आरम्भिक आपत्ति पर बहस सुनी गई। अपीलांट की ओर से अभिभाषक सीताराम रावत तथा रेस्पोडेंट की ओर से अभिभाषक नवीन गुर्जर रेस्पोडेंट 1 व 2, अभिभाषक मदनपुरी गोस्वामी रेस्पोडेंट संख्या 3 से 5 उपस्थित थे। रेस्पोडेंट संख्या 6 की ओर से कोई उपस्थित नहीं है।

12/1/2024

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

3. अभिभाषक रेस्पोडेन्ट संख्या ने दौराने बहस आपत्ति में कथन किया कि अपीलांट अपील नहीं कर सकता था क्योंकि उसके द्वारा विवादित भूमियां अन्य को स्थानांतरित कर दी गई है। अपीलांट द्वारा दानपत्र के माध्यम से गटक्यिा को भूमियां हस्तानांतरित कर दी गई है अभी अपीलांट के पास कोई टाईटल शेष नहीं है।

4. पत्रावली में उपलब्ध अभिलेख, अधीनस्थ न्यायालय के निर्णय का अवलोकन एवम् उभय पक्षकारान के अभिभाषकगण द्वारा बहस के दौरान दिये गये तर्को पर मनन किया गया किशन बनाम मैना एवं अन्य वादपत्र संख्या 50/2022 अंतर्गत धारा 88,188 आरटी एक्ट 1955 सपठित धारा 136 एलआर एक्ट 1956 के तहत खसरा नम्बर 4350 रकबा 1.00, 4351 रकबा 0.69, खसरा नम्बर 4352 रकबा 0.32 है0, खसरा नम्बर 4394/7608 रकबा 0.20 है0 खसरा नम्बर 407 रकबा 0.14 व खसरा नम्बर 404 रकबा-0.37 है0 ग्राम देराठू बाबत वादी/वर्तमान अपीलांट को खातेदार उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नसीराबाद द्वारा दिनांक 2.1.2023 को अपने निर्णय व डिक्री से खातेदार घोषित किया।

5. उक्त निर्णय व डिक्री के विरूद्ध प्रकरण संख्या 50/2022 में दर्ज प्रतिवादी संख्या 1 मैना पत्नि गोपाल जाति जाट एवं प्रतिवादी संख्या 2 संतोष पत्नि प्रभू जाति गुर्जर निवासी देराठू तहसील नसीराबाद द्वारा मैना एवं अन्य बनाम किशन एवं अन्य नाम से उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नसीराबाद के समक्ष दिनांक 14.2.2023 को एक प्रार्थना पत्र अंतर्गत आदेश 9 नियम 13 सीपीसी के तहत प्रस्तुत कर उक्त एकपक्षीय डिक्री को निरस्त करने हेतु उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नसीराबाद में निवेदन किया।

6. उक्त प्रार्थना पत्र पर कार्यवाही करते हुए उपखण्ड अधिकारी नसीराबाद द्वारा वाद बाहुलता को रोकने के उददेश्य से मूल वाद के वादी को जरिए अंतरिम अस्थाई निषेधाज्ञा आगामी तारिख पेशी तक मौके एवं रिकार्ड की यथास्थिति बनाए रखने बाबत अन्यत्र हस्तानांतरण एवं बेचान नहीं करने बाबत पाबंद किया।

7. उपखण्ड अधिकारी के उक्त आदेश पर मूल वाद के वादी द्वारा किशन बनाम मैना एवं अन्य नामक उनवान से न्यायालय हाजा में अपील संख्या 83/2023 दर्ज करवाई है। जिसमें उन्होंने यह बताया है कि उपखण्ड अधिकारी न्यायालय नसीराबाद के स्थगन आदेश दिनांक 14.2.2023 की आड में रेस्पोडेंट सख्या 1 व 2 अपीलांट को बेदखल करने पर अमादा है। उक्त स्थगन आदेश निरस्त किया जाए।

8. उभयपक्ष बहस सुनी गई, दौराने बहस रेस्पोडेंट संख्या 1 व 2 के अभिभाषक द्वारा ग्राम देराठू तहसील नसीराबाद के खाता संख्या नया 1625 जमाबंदी संवत 2073–2076 को न्यायालय में प्रस्तुत किया गया जिसके अनुसार उक्त खाता संख्या 1625 वर्तमान में गटक्यिा पत्नि किशनलाल हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिनदेह खातेदार के नाम अंकित है। तथा डिक्री निर्णय 50/2022 में दर्ज खसरा नम्बर 404, 407, 4350, 4352, 4394/7608 दर्ज खसरा नम्बर नामांतरकरण संख्या 2226 दिनांक 6.2.2023 से दान के माध्यम से गटक्यिा के नाम दर्ज हुई है। डिक्री एवं निर्णय 50/2022 में दर्ज खसरा नम्बर 4351 रकबा 0.6900 किशन पुत्र रामकरण हिस्सा पूर्ण जाति जाट साकिनदेह खातेदार के नाम पर ही दर्ज है उक्त खसरा नम्बर खातेदार किशन द्वारा अन्य को स्थानांतरित नहीं किया गया है।

9. उपरोक्त विवेचन से स्पष्ट है कि डिक्रीदार किशन के पास डिक्री में खातेदारी दिए गए 6 खसरा नम्बरों में से मात्र एक खसरा नम्बर 4351 ही शेष है, न्यायालय रेस्पोडेंट अभिभाषक की बात से सहमत है, कि डिक्री में उल्लेखित 6 खसरा नम्बरों में से 5 खसरा नम्बरों 404, 407, 4350, 4352, 4394/7608 बाबत अपीलांट की अपील मेंटेलेबल नहीं है

राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

क्यों कि उक्त 5 खसरा नम्बर अब किशन के नाम पर दर्ज नहीं है। अपीलांट ने न्यायालय हाजा में दिनांक 24.2.2023 को अपील प्रस्तुत की है व अपीलांट ने अपील प्रस्तुतीकरण से पूर्व ही अपीलाधीन आराजियात के उक्त 5 खसरा नम्बर दान पत्र के माध्यम से गटक्या को दे दी है। अपीलांट न्यायालय हाजा में स्वच्छ हाथों से नहीं आया है उसने प्रस्तुत अपील प्रकरण में इन तथ्यों को छिपाया है।

10. रेस्पोडेंट द्वारा अपील की मेंटेनेबिलिटी बाबत आरंम्भिक आपत्ति स्वीकार की जाती है। अतः इसी स्टेज पर अपीलांट द्वारा प्रस्तुत अपील को खारिज किया जाता है। पत्रावली फैसलशुमार होकर नम्बर से कम हो।

12/1/2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर

11. आदेश आज दिनांक 12.01.2024 को मेरे द्वारा लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया ।

12/1/2024

(गजेन्द्र सिंह राठौड़)
राजस्व अपील प्राधिकारी
अजमेर